



राजस्थान स्टेट माईन्स एण्ड मिनरल्स लिमिटेड

(राजस्थान सरकार का उपक्रम)

कॉरपोरेट कार्यालय:- 4, भीरा मार्ग, उदयपुर -- 313 001

राजि. कार्यालय:- सी-89-90, लाल कोठी स्क्रीम जयपुर, CIN-U14109RJ1949SGC000505

Phone : 0294-2428763-67, Fax : 0294-2428770/2428739

e-mail : info.rsmml@rajasthan.gov.in, Website: www.rsmml.com

क्रमांक:- आरएसएमएम/सीओ/पर्स/6(15)/2015/114 दिनांक:- 1-6-2021


परिपत्र:-

विषय:- आरएसएमएमएल के समस्त अधिकारियों द्वारा अपना अचल सम्पत्ति विवरण को स्वयं के SSO-ID से लॉग इन कर ERP सॉफ्टवेयर में IPR MODULE द्वारा ऑन-लाईन स्वयं द्वारा भरने के संबंध में।

आरएसएमएमएल के समस्त अधिकारियों द्वारा राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक प.13(76)कार्मिक/क-1/गो.प्र./2011 दिनांक 01.01.2021 के अनुसार प्रतिवर्ष 01 जनवरी की स्थिति में अपना अचल सम्पत्ति विवरण 31 जनवरी तक भरे जाने का इस कार्यालय के परिपत्रांक आरएसएमएम/सीओ/पर्स/6(15)/2015/1050 दिनांक 25.01.2021 के तहत प्रावधान किया गया था।

एवं उक्त के तहत समस्त आरएसएमएमएल अधिकारियों को स्वयं के SSO-ID से लॉग इन कर ERP सॉफ्टवेयर में IPR MODULE द्वारा ऑन-लाईन स्वयं द्वारा 31 जनवरी तक अनिवार्य रूप से करा जाना था।

इस कार्यालय के परिपत्रांक आरएसएमएम/सीओ/पर्स/6(15)/2015/1272 दिनांक 19.03.2021 के तहत अचल सम्पत्ति विवरण भरने हेतु समयावधि 31 मार्च 2021 तक बढ़ाई गयी थी फिर भी जिन अधिकारियों द्वारा IPR भरते समय संहवन से गलत प्रविष्टियां अंकित कर दी गई हो अथवा संबंधित दस्तावेज संलग्न (Upload) नहीं किये गये हो, वे सभी अधिकारी भी दिनांक 10.06.2021 तक की अवधि में आवश्यक रूप से ऑन-लाईन उपरोक्तानुसार कार्यवाही सम्पादित करावे अन्यथा माह जुलाई 2021 की वेतन वृद्धि स्वीकृत नहीं की जा सकेगी।


(बाल मुकुन्द असावा) आर.एस.एस.
कार्यकारी निदेशक (प्रशासन)

प्रतिलिपि:-

1. निजी सहायक, श्रीमान प्रबन्ध निदेशक महोदय।
2. वित्तीय सलाहकार, आरएसएमएमएल, उदयपुर।
3. समस्त समूह महाप्रबन्धक/प्रमुख एवं प्रभारी, एसबीयू-पीसी लिग्नाईट/लाईमस्टोन/जिप्सम/रॉक फॉस्फेट एवं समस्त विभागाध्यक्ष, कॉरपोरेट कार्यालय, उदयपुर/देहली/कोलकता कार्यालय को निर्देशानुसार भेजकर लेख है कि अपने अधिनस्थ अधिकारियों को निर्देशित करते हुये इसकी पालना सुनिश्चित करावें। **DUM (IT)**
4. श्री नीरज श्रीमाली, उपमहाप्रबन्धक(एमआईएस)
5. सम्बन्धित पत्रावली/गार्ड पत्रावली/संबन्धित नोटिस बोर्ड।


कार्यकारी निदेशक (प्रशासन)